छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन

<u>आदेश</u>

रायपुर दिनांक 27-12-2005

क्रमांक एफ-24-8/20/2005:: मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य शासन एतद्द्वारा आदेशित करता है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक तत्काल विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की माताओं की एक बैठक बुलाकर उनसे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने में सहयोग करने का अनुरोध करेंगे। विद्यार्थियों की माताओं से अनुरोध किया जायेगा कि वे मध्यान्ह भोजन के लिए निश्चित समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर भोजन की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करें, एवं कोई शिकायत होने पर तत्काल प्रधान अध्यापक को सूचित करें। इसके कार्य में सहयोग के लिए जो माताएं सहमत हों वे आपस में पारी बांधकर यह कार्य कर सकती हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन के समय कुछ माताएं उपस्थित होकर पर्यवेक्षण करें, परन्तु किसी पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। यह कार्य पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. एस. [illegible])
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग